

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन,  
ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्पलेक्स,  
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003  
दिनांक: 4<sup>th</sup> January, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) में वर्ष 1987 और वर्ष 1992 के आधार पर औद्योगिक महंगाई भत्ता वेतनमान अपनाने वाले बोर्ड स्तर के/बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को महंगाई भत्ते का भुगतान संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 19.07.1995 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(50)/86-डीपीई (मजूरी कक्ष) के पैरा 4 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है, जिसमें बोर्ड स्तर के कार्यपालकों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुबन्ध-III में वर्णित महंगाई भत्ता योजना के अनुसार तिमाही औसत सूचकांक 1099 (1960=100) से अधिक मूल्यवृद्धि के आधार पर महंगाई भत्ते की किश्तें प्रति वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर से देय हो।

2. इस विभाग के दिनांक 06.10.2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में वर्ष 1992 का आईडीए पैटर्न वेतनमान अपनाने वाले बोर्ड स्तर के तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरों को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:-

जिस तारीख से देय है :

01.01.2023

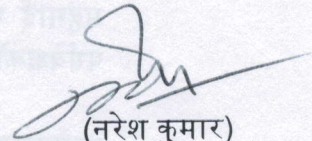
September, 2022 से November 2022 की तिमाही के लिए औसत एआईसीपीआई (1960=100) 8684 है। प्रतिशत में लिंक प्वाइंट पर वृद्धि  $[(8684-1099)/1099 * 100]$  690.2% है। विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए महंगाई भत्ते 01.01.2023 से प्रभावी हैं।

विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए महंगाई भत्ता दरें

| मूल वेतन प्रतिमाह                  | महंगाई भत्ते की दर                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3500 रुपए तक                       | वेतन का 690.2% परन्तु न्यूनतम 15170/- रुपए |
| 3500 रुपए से अधिक तथा 6500 रुपए तक | वेतन का 517.7% परन्तु न्यूनतम 24157/- रुपए |
| 6500 रुपए से अधिक तथा 9500 रुपए तक | वेतन का 414.1% परन्तु न्यूनतम 33651/- रुपए |
| 9500 रुपए से अधिक                  | वेतन का 345.1% परन्तु न्यूनतम 39340/- रुपए |



3. मंहगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए तथा 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए।
4. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में वर्ष 1987 का आईडीए पैटर्न वेतनमान अपनाने वाले बोर्ड स्तर के तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को दिनांक 01.01.2023 से देय औद्योगिक मंहगाई भत्ते की राशि पुरानी प्रणाली के निष्प्रभावन के अनुसार 2.00 रुपए प्रति अंक की वृद्धि की दर से 153 अंकों की वृद्धि के लिए 306/- रुपए तथा एआईसीपीआई 8684 पर 15957.75 रुपए मंहगाई भत्ता देय होगा।
5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए पूर्वगामी को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसईज़ के ध्यान में लाएं।
6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

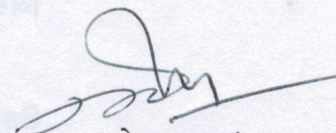
  
(नरेश कुमार)  
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

  
(नरेश कुमार)  
अवर सचिव